<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/3636/2004/चित्तोडगढ</u>

1. मु.धापू पुत्री भैरू लाल तेली निवासी कपासन हाल जवासिया जिला चित्तौडगढ
2. मु. दाखी बेबा भैरू लाल तेली निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

1. मु.उदी पुत्री भैरू लाल तेली निवासी कपासन हाल मुकाम कचोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. मु. कमला पुत्री भैरू लाल तेली निवासी कपासन हाल मुकाम लांगध तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
3. मु. केसर पुत्री भैरू लाल तेली निवासी कपासन हाल मुकाम लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. मु. नर्बदा पुत्री भैरू लाल तेली निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ

रेस्पोडेन्टस

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः20.11.18

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–7–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण संख्या 1लगायत3 ने एक वाद अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 4व5 के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत अधिनियम की धारा 88,53 व 188 सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी)कपासन के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायलय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर अनुतोष सहित दो वाद बिन्दु कायम किये तथा वाद बिन्दु संख्या 2 को दिनांक 21–5–2001 कों हटा दिया। तत्पश्चात बाद सुनवाई पक्षकारान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–5–03 को वाद डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–7–04 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन नहीं किया एवं आदेश 41

नियम 31 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। आदेश 14नियम 1 जाब्ता दीवानी के तहत वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र में उल्लेखित अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की जाती हैं,परन्तु विचारण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम नहीं कर त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 को विलोपित कर दिया जबकि उक्त तनकी आवश्यक थी क्योंकि प्रत्यर्थीगण वादीगण संख्या 1लगायत 3 ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर व अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण ने पंजीकृत वसीयत को लेकर अभिवचन किया था। इसलिये वसीयत के आधार पर हक प्राप्त करने का अभिवचन होनें के कारण उक्त तनकी बनाया जाना आवश्यक था। प्रत्यर्थीगण वादीगण संख्या 1लगायत 3 ने अपने वाद में केवल यह व्यक्त किया है कि विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में भैरूलाल पिता गणेश के नाम पर अंकित है। यह कही भी उल्लेख नहीं किया कि उक्त भूमि भैरू लाल के पिता गणेश के नाम पर दर्ज थी न ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। इससे यह स्पष्ट था कि उक्त भूमि भैरू पिता गणेश की स्व अर्जित भूमि थी किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर पैत्रिक सम्पति होने की अवधारणा कर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वसीयत के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की। मात्र यह अंकित किया कि वसीयत के आधार पर दीवानी न्यायालय में हक तय करावें। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अन रजिस्टर्ड वसीयत को अन्तिम मानकर वाद डिक्री किया है जबकि कानूनन वसीयत विलेख जब तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं कर दे तब तक उस व्यक्ति को वसीयत के आधार पर अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादीगण द्वारा वसीयत दिनांक 1–2–94 सिद्ध नहीं की गई है। तथाकिथत अपंजीकृत वसीयत फर्जी

एवं सन्देहास्पद है। इसकी पुष्टि वादी संख्या 1 की साक्ष्य से होती है। प्रत्यर्थीगण वादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बटवारे का दावा सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है। दोनों ही प्रकरणों में पक्षकार एक ही हैं। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे गैर कानूनी रूप से निरस्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपीलार्थी ने आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के तहत मृतक भैरू लाल द्वारा भूमि खरीदी गई,उसका विक्रय पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन उक्त दस्तावेज बाबत कोई उल्लेख निर्णय में नहीं किया है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रत्यर्थीगण वादीगण संख्या 1लगायत3 का वाद खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर बी जे 1998 पेज 1 आर आर डी 2001 पेज 324, आर बी जे 1998 पेज 1, ए आई आर 1990 एस सी पेज 396, ए आई आर 1977 एस सी पेज 74, ए आई आर 2001 मद्रास पेज 370, डी एन जे 2013 एस सी पेज 62, डी एन जे 2010 एस सी पेज 414, डी एन जे 2018 एस सी पेज1097 की नजीरें पेश की।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 एवं अन्तिम वसीयत दिनांक 1–2–94 के अनुसार अधिकार मिले हैं। प्रतिवादिया धापू अपने बयानों में वादग्रस्त भूमि को अपने दादा के समय की होना स्वीकार करती है। इसलिये स्वीकृत तथ्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वसीयत का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। वसीयत को कभी भी रद्द किया जा सकता है। इसलिये स्व. भैरूलाल ने अपनी अन्तिम वसीयत दिनांक 1–2–94 द्वारा पूर्व वसीयत को रद्द कर दिया है। इसलिये अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत विलेख दिनांक 29–1–94 भी रद्द हो

जाता है। इसलिये उससे कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। जहां तक वसीयत का प्रोवेट लेने का प्रश्न है,राजस्थान में यह आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक रूप से पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 2006 पेज पेज 190, आर आर टी 2008 पेज 241 की नजीरें पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से आदेश 41नियम 27 जाब्ता दीवानी के तहत अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय व डिक्री जिला न्यायाधीश चित्तौडगढ दिनांक 18–5–2010 प्रकरण संख्या 3/2010 उनवानी श्रीमती उदी बनाम श्रीमती दाखी दिनांक 5–7–2018 को पेश की। मण्डल के समक्ष यह अपील वर्ष 2004 से लम्बित है और वर्ष 2010 में सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति को वर्ष 2018 में इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया है। दूसरा सिविल न्यायालय में वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है और राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रकरण इस्तकरार हक,घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती है और यह दस्तावेज निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज भी नहीं हो सकता है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

8. इस प्रकरण में मुख्य निर्णायक बिन्दु यह है कि क्या वादपत्र में अंकित आराजी मौरूसी है जिससे वादीगण खातेदार काश्तकार होकर बटवारा कराने के अधिकारी हैं ?विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्बत 2039 से2042 के खाता संख्या 524 में खसरा नम्बर 3417,3419,3420,3421 कुल किता 4 रकबा 5बीघा 8 विस्वा भेरा पिता गणेश तेली की खातेदारी में अंकित है जो प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 एवं अपीलार्थी के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पति हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान में पुत्र,पुत्रियां एवं विधवा आती हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी मृतक भैरू लाल की स्वअर्जित है लेकिन अपीलार्थी की ओर से कोई खण्डनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादग्रस्त आराजी मौरूसी न होकर मृतक भैरू लाल की स्वअर्जित आराजी है। स्वयं अपीलार्थी धापू ने अपने बयानों में जायदाद अपने बाप दादाओं की होना बयान किया है। अपीलार्थी प्रतिवादी धापू के बयानों से वादग्रस्त आराजी उसके दादा गणेश की होना सिद्ध होता है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहान पी डब्लू–1,2,3 ने अपने बयानों में वादगस्त आराजी बाप दादाओं की होना कथन किया है। जहां तक वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं होने का प्रश्न है, अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त हक निहित नहीं हो।

9. जहां तक वसीयत दिनांक 29–1–94 एवं 1–2–94 का प्रश्न है,दोनों भैरू लाल द्वारा निष्पादित की गई हैं। वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो अथवा अन रजिस्टर्ड,विधि अनुसार अन्तिम वसीयत ही मान्य होती है। अगर अनरजिस्टर्ड वसीयत को अपीलार्थी फर्जी मानते हैं तो इस बाबत उन्हें निर्धारित

समयावधि में उचित चाराजोही करनी चाहिये थी। राजस्व न्यायालय को वसीयत फर्जी है या नहीं यह जांच नहीं करनी है बल्कि यह तय करना है कि वादग्रस्त आराजी मौरूसी होकर मृतक भैरू लाल के वारिसान का हक है अथवा नहीं। वादग्रस्त आराजी मौरूसी होने से भैरू लाल के उत्तराधिकारी पांचों पुत्रियां एवं उसकी विधवा पत्नी का वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक बनता है। जहां तक अन्तिम वसीयत का प्रश्न है,जो दिनांक 1–2–94 की है और प्रदर्श ए–1है जो सभी पक्षकारों के पक्ष में है। जिसमें पूर्व वसीयत को रद्द करना बताया है। वादिया उदी ने अपने बयानों में कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजी पर हम पांचों बहिनें व मेरी माता का हक है। यह जमीन मेरे बाप दादाओं के समय से चली आ रही है। मेरे पिताजी को मरे सात वर्ष हो चुके हैं। विवादग्रस्त आराजी के लिये मेरे पिता ने एक वसीयतनामा लिखकर दिया कि पांचों बहिनें व उनकी माता का चल अचल सम्पति पर अधिकार होगा, वसीयतनामे की फोटो प्रति पेश की है तथा असल साथ में लाई हूॅ जो प्रदर्श–1 है। फोटो प्रति प्रदर्श ए–1 है। मेरे पिता ने मृत्यु होने के तीन दिन पहले वसीयतनामा किया है। वसीयतनामा पर गवाह राजू तेली, रामचन्द्र तेली, बालूराम तेली व शफी मोहम्मद हैं। इस वसीयत के बाद मेरे पिता ने कोई वसीयत नहीं की है। मेरे पिता जी ने हमारे को जो वसीयत पी–1 की है,उससे पूर्व एक वसीयत कृष्णगोपाल के हक में भी की थी जिसकी नकल प्रदर्श–2 है। मेरे पिता जी ने आखिरी वसीयत पी–1 की है जो सही है। वसीयत के साक्षी रामचन्द्र ने अपने बयानों में कथन किया है कि मैं पक्षकार एवं जैर बहस आराजी को जानता हूॅ, जो कस्बा कपासन में स्थित है। मैं पक्षकारान में दाखी के पति व अन्य के पिता भैरू लाल जी तेली को जानता हूॅ। मेरा मकान व भैरू लाल जी का मकान एकदम पडौस में है,दोनों की एक दीवार है। वादग्रस्त

आराजी बापदादाओं के समय से चली आ रही है। भैरू लाल की चल अचल सम्पति पर पांचों लडकियों व पत्नी का अधिकार है। भैरू लाल ने मरने के तीन दिन पहले एक वसीयत चल अचल सम्पति की पांचों पुत्रियों व पत्नी के नाम लिख दी थी। प्रदर्श–1 मेरे सामने लिखी थी। भैरू लाल जी ने यह वसीयत दुरूस्त होश हवास में की थी। इस वसीयत पर भैरूलाल जी ने अपने हस्ताक्षर किये थे। गवाह शफी मोहम्मद, बालू मैं स्वयं वगैरा थे। यह वसीयत फर्जी नहीं है। इस वसीयत के बाद भैरू लाल जी ने कोई वसीयत नहीं की है। इस वसीयत से पूर्व कृष्णगोपाल के हक में जो वसीयत की थी वह खारिज कर दी है,आखिरी वसीयत पी–1 ही है। इसी तरह वसीयतनामे का दूसरा गवाह बालूराम तेली भी की पुष्टि करता है।

10. अपीलार्थी धापू ने अपने कूट परीक्षण में बयान किया है कि मेरे पिताजी मरे तब दुरूस्त होश हवास में थे। यह सही है कि दावा चलने के बाद मेरे पिताजी की जमीन मेरे नाम पर करा ली थी। यह सही है कि वादग्रस्त आराजी मेरे दाद के समय की है तथा उनके द्वारा खरीदी गई थी। यह सही है कि मेरे पिता जी के पिता जी दादा गणेश जी थे। यह सही है कि मैंने पांचों बहिनों व मेरी माता के हक में मेरे पिता द्वारा की गई वसीयत आखिरी वसीयत होने व झूठी होने की कार्यवाही नहीं कराई है। यह सही है कि मेरे पिता जी की जमीन को मैं अकेले ही खाना चाहती हूॅ, मेरी बहिनों को कोई हिस्सा नहीं देना चाहती हूॅ।

11. इस प्रकार वादिया व उसके साक्षी के बयानों व अपीलार्थी प्रतिवादिया के बयानों से स्वर्गीय भैरू लाल द्वारा दिनांक 1–2–94 को वसीयत लिखा जाना सिद्ध है और वादग्रस्त भूमि पैतृक होने की स्वंय अपीलार्थी धापू अपने बयानों में कथन करती है। वैसे भी बाद वाली वसीयत भैरू लाल के सभी उत्तराधिकारियों के पक्ष में है, जो अधिक तर्कसम्मत है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क भी

रहा है कि वसीयत के बारे मे कोई वाद बिन्दु विचारण न्यायालय ने नहीं बनाया जबकि दोनों ही पक्ष वसीयत के आधार पर हक मानते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो हम पाते हैं कि आदेशिका दिनांक 27–10–99 के अनुसार वसीयत के बारे में वाद बिन्दु संख्या 2 निर्धारित करके प्रतिवादिया के जिम्मे रखी गई थी। जिसे प्रतिवादिया अपीलार्थी ने दिनांक 21–5–02 को प्रार्थना पत्र पेश कर इसे हटाने का निवेदन किया है। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 17–9–02 को इस वाद बिन्दु को हटाने का आदेश दिया है। इसलिये अपीलार्थी अब इस बाबत एतराज नही कर सकते हैं। इस प्रकार हम दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्षो से सहमत हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किये हैं और दोनें अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हम बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not qcquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findkigs recorded are illegal or purchase in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

12. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष